SDO प्रा०पत्र प्र.सं. 46/2023 Online No. 2023/53

Smt. शेहानी / Smt. माया व अन्य

25/5/23 पत्रावली पैश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक हडताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 महगाई राहत केम्प [illegible] में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/6/23 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

13/6/23 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीया अधिवक्ता उप.। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित, बार-बार आवाजें लगाई गई, इनके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीया अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LR Act का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर जारी कर आवश्यक कार्यवाही किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2023	03.02.2023	13.06.2023

उनवान

1. श्रीमति रोशनी पत्नी भगवानलाल अहीर निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।

––– प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमति माया पत्नी दिनेश अहीर निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति झुमा देवी पत्नि जमनालाल अहीर निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री नारायण लाल पुत्र शोभालाल सुथार निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री रामचन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–– विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी सीमा कुमारी अहीर

एक तरफा विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू अभिलेख निरीक्षक आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 360 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 280 रकबा 0.2908 है0 एवं खाता संख्या 489 आराजी संख्या 282 रकबा 0.2529 है0 आराजी संख्या 284 रकबा 0.4805 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

हमने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू अभिलेख निरीक्षक आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 360 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 280 रकबा 0.2908 है0 एवं खाता संख्या 489 आराजी संख्या 282 रकबा 0.2529 है0 आराजी संख्या 284 रकबा 0.4805 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा